

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)()डीएलवी/20/104

दिनांक: 11-1-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री फिरोज खान, एडवोकेट (रजि.सं. आर/1913/2013) को नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेर के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेर से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलवी/19/105-113

दिनांक: 11-1-2021

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
05. अध्यक्ष/आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेर।
06. श्री फिरोज खान, अधिवक्ता, मार्फत नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी